

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लंखनऊ :: दिनांक ०९ अगस्त, 2024

:-प्रोलति आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय सर्वर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 29-07-2024 के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं०	ज्य० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कुमू	वर्तमान तैनाती	जन्मतिथि
01	02	03	04	05
01	1893	राकेश सिंह/ रंजीत सिंह	लखनऊ	23-06-1976
02	1938	मो० अकरम सिद्दिकी / नूरुल हुदा सिद्दिकी	गोरखपुर	01-01-1972
03	2366	योगेश कुमार/ गोविन्द राम शर्मा (चलन क्रिया दिव्यांग)	मुरादाबाद	16-07-1971
04	2394	सुमन कुमारी/ तीरखपाल सिंह (चलन क्रिया दिव्यांग)	अलीगढ़	12-07-1976
05	2488	जय सिंह / अवधेश प्रताप सिंह (चलन क्रिया दिव्यांग)	वाराणसी	03-04-1977
06	2664	अनिल कुमार प्रजापति/ राम बली प्रजापति (चलन क्रिया दिव्यांग)	मुख्यालय	20-11-1967
07	2801	राकेश सिंह चौहान/ रमापति चौहान (चलन क्रिया दिव्यांग)	मुख्यालय	11-10-1982
08	2601	मेघा सक्सेना/ संजय सक्सेना (श्रवण द्वास दिव्यांग)	लखनऊ	18-02-1989
09	2348	संजय दीक्षित बान्धवकर/ शंकर दीक्षित बान्धवकर (चलन क्रिया दिव्यांग)	कानपुर	17-12-1976

2- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी ।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 21-07-2024 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरागो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सरकंता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चंल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें ।

5- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्ता ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, लखनऊ जोन प्रथम/ द्वितीय, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी जोन प्रथम/ द्वितीय, कानपुर जोन प्रथम/ द्वितीय।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सम्भाग-ए बी/ सी लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर।
- ✓ 4- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर, मुख्यालय।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर, मुख्यालय।
- 7- पटल प्रभागी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था०अराज०) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।

(अखिलन्द कुमार)

उपायुक्त (स्था०अराज०) राज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।